रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032024-253394 CG-DL-E-27032024-253394

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2024/चैत्र 7, 1946

No. 219]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2024/CHAITRA 7, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2024

सा.का.नि. 233(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2024 है।
  - (2) ये 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट -II में,
  - (क) प्ररूप आईटीआर-v के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

2269 GI/2024 (1)

"प्ररूप		<u>भारतीय आयकर विवरणी सत्यापन प्ररूप</u>			निर्धारण वर्ष		
आईटीआर- V	[जहां अ	आयकर विवरणी के डाटा फार्म आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2,			2024-25		
,	आईटीआर-3	, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में फाइल की गई है,					
			( )	सत्यपित नहीं व			
		14મેલું ફર્લ	पट्राामक रूप म	त्तत्यायतं महा	ા પર ⊱]		
		(कृपया अ	ाय-कर नियम ,	1962 का नियम	ा 12 देखें)		
नाम							
पैन			फार्म संख्या				
धारा के अधीन			ई-फाइलिंग पा	वती संख्या			
फाइल की गई ।							
			1				
			सत्याप	1			
मैं,	का प	पत्र/पत्री सत्य	निष्ठा से घोषणा	करता/करती हैं	र मेरे सर्वोत्तम	विश्वास तथा	ज्ञान के अनसार
		• •		•	`		•
इस विवरणी में दी ग	• `		विता संख्या १	द्वारा प्रस्तुत ।कर	या गया ह, सत	य एव पूण ह	आर वह आयकर
अधिनियम, 1961 वे	के उपबंधों के ३	ग्नुसार है।					
 मैं यह और घोषणा	<del></del>	<del>ਤਂ ਹਿ ਮੈਂ</del> ਤਜ		<del>;</del> 3 <del>111 011</del>	च्या के इस में	<del></del>	ਰੇ <u>ਤ</u> ੇ ਕੀਤ ਹੈ ਤਜ
म यह आर वाषणा विवरणी को बनाने र							। हू आर म इस
ववरणा का बनान व 	तथा इस सत्या	।पत करन म	सक्षम मा हू। म	रा स्थाइ खाता र	લહ્યા(	यन) हा	
हस्ताक्षर —	<b>→</b>						
प्रस्तुत करने की तार्र	ोख			स्रोत आई.पी प	<del></del>		
	.19				VII.		
सिस्टम सृजित वार	काड/क्यूआर व	गड					
अनदेश:							

- 1. कृपया आप आधार ओटीपी का प्रयोग करके नेट बैंकिंग लॉगिन के माध्यम से ई-फाइलिंग अकाउंट के लॉगिन अथवा पूर्व में विधिमान्य किए गए बैंक खाते/डीमेट अकाउंट का प्रयोग करके ई.वी.सी सृजित अथवा बैंक एटीएम के माध्यम से सृजित ई.वी.सी. का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई विवरणी को ई-सत्यापित करें अथवा वैकल्पिक रूप से विधिवत हस्ताक्षरित) प्राथमिकता ब्लू इंक में) फार्म आई.टी.आर-V को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा "केंद्रीयकृत संसाधन केंद्र, आयकर विभाग, बंगलूरू-560500" को भेज सकते हैं।
- आईटीआर-V फार्म आय-कर विभाग के किसी अन्य कार्यालय में अथवा किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जाएगा। आईटीडी-सीपीसी में इस फार्म आईटीआर-V प्राप्त करने की पुष्टि ई-फाइलिंग अकाउंट में पंजीकृत ई-मेल आईडी को भेजी जाएगी।
- सफलतापूर्वक सत्यापन पर विवरणी दायर करने की पावती को आय विवरणी दायर करने की प्रक्रिया के पूरा होने के साक्ष्य के रूप में ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
- 4. हस्ताक्षर हेतु प्रदत्त बॉक्स में ही कृपया हस्ताक्षर करें। आईटीआर-V में दिए गए बॉक्स के अलावा कहीं और हस्ताक्षर

## करना अमान्य है।

- 5. जब आईटीआर डाटा को इलैक्ट्रानिकी रूप से पारेषित किया जाता है और आईटीआर-v को डाटा के पारेषण से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे मामलों में डाटा को इलैक्ट्रानिकी रूप से पारेषण करने की तारीख को आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख समझा जाएगा।
- 6. जब आईटीआर डाटा को इलैक्ट्रानिकी रूप से पारेषित किया जाता है किंतु आईटीआर-v को डाटा पारेषण करने की तीस दिन की समय-सीमा से परे प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे मामलों में आईटीआर-v को प्रस्तुत करने की तारीख को आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख समझा जाएगा और अधिनियम के अधीन विवरणी विलंब से प्रस्तुत करने परिणाम लागू होंगे

# (ख) आईटीआर फार्म-पावती के लिए निम्नलिखित फार्म रखा जाएगा, अर्थात:-

	निर्धारण वर्ष			
[जहां आयकर विवरणी का डाटा फार्म आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-				2024-25
<b>4 (सुगम), आ</b> ः	ईटीआर-5, आईटीआर-7 में फाइल किया	गया है, और सत्यापित किया ग	ाया है]	
	(कृपया आय-कर नियम, 1962 का	ा नियम 12 देखें)		
पैन				
नाम				
पता				
प्रास्थिति		फार्म संख्या		
धारा के अधीन		ई-फाइलिंग पावती संख्या		
वारा क जवान फाइल किया गया		इ-फाइालग पावता सख्या		
	चालू वर्ष कारबार हानि, यदि कोई हो		1	
	कुल आय			
	मैट के अधीन बही लाभ, जहां लागू हो		2	
<del></del>	मैट के अधीन समायोजित कुल आय, जह	हां लागू हो	3	
कराधेय	संदेय निवल कर		4	
ि	संदेय ब्याज तथा फीस		5	
	संदेय कुल कर ब्याज तथा फीस		6	
	संदत्त कर		7	
	(+)संदेय कर /(-) प्रतिदेय (6-7)		8	
.व. ———————————————————————————————————	धारा 115नघ के अधीन वर्धित आय		9	
आय । गौरे क गौरे	धारा 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त	ंकर	10	
वर्धित आय एवं कर ब्यौरे कर ब्यौरे	धारा 115नङ के अधीन संदेय ब्याज		11	
ाज '	संदेय अतिरिक्त कर और ब्याज		12	

संदत्त कर और ब्याज	13	
<b>(+)</b> संदेय कर <b>/(-)</b> प्रतिदेय <b>(12-13</b> )	14	
तारीख कोआईटी पते से इलैक्ट्रानिकी रूप से	पारेषित	आयकर विवरणी
द्वारा सत्यापित की गई		पैन रखने
वाले *पेपर आईटीआर	सत्यापन	फार्म/ इलैक्ट्रानिक
सत्यापन कोड का प्रयोग करकेमोड के माध्यग	न से सृजित	किया गया।
सिस्टम सृजित बार कोड/क्यू आर कोड		

# इस पावती को सी.पी.सी,बैंग्लूरू को नहीं भेजे"।

[अधिसूचना सं. 37/2024 फा.सं. 370142/7/2024-टीपीएल]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव कर नीति और विधान

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 155(अ) तारीख 05 मार्च 2024 द्वारा किया गया था।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2024

**G.S.R. 233(E).**—In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fifth Amendment) Rules, 2024.
  - (2) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2024.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II,
  - (a) for FORM ITR-V, the following FORM shall be substituted, namely: —

"FORM	INDIAN INCOME TAX RETURN VERIFICATION FO	Assessment Year
ITR-V		2024-25
	[Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-7 filed but No electronically]  (Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 196)	OT verified
Name		<u> </u>
PAN	Form Number	
Filed u/s	e-Filing Acknowledgement Number	
I	VERIFICATION	
	son/ daughter of, solemnly declare that to to given in the return which has been submitted by me omplete and is in accordance with the provisions of the Income-ta	e vide acknowledgement number

<sup>\*</sup>जो लागू न हों, उसे काट दें

	at I am making this return in my od verify it. I am holding permane		and I am also competent to
Signature			
Date of submission		Source IP address	
System Generated	Barcode/QR Code		

### **Instructions:**

- 1. Please e- verify the electronically transmitted return data using Aadhaar OTP or Login to e-Filing account through Net-Banking login or EVC generated using Pre-Validated Bank Account/ Demat Account or EVC generated through Bank ATM. Alternately, you may send the duly signed (preferably in blue ink) Form ITRV to "Centralised Processing Centre, Income Tax Department, Bengaluru 560500", by SPEED POST ONLY.
- 2. Form ITR-V shall not be received in any other office of the Income-tax Department or in any other manner. The confirmation of receipt of this Form ITR-V at ITD-CPC will be sent to the e-mail Id registered in the e-filing account.
- 3. On successful verification, the return filing acknowledgement can be downloaded from e-Filing portal as a proof of completion of process of filing the return of Income.
- 4. Please sign only in the box provided for signature. Signature anywhere else other than the box provided can render the ITR V invalid.
- 5. Where ITR data is electronically transmitted and ITR-V is submitted within 30 days of transmission of data- in such cases the date of transmitting the data electronically shall be considered as the date of furnishing the return of income.
- 6. Where ITR data is electronically transmitted but ITR-V is submitted beyond the time-limit of 30 days of transmission of data- in such cases the date of ITR-V submission shall be treated as the date of furnishing the return of income and all consequences of late filing of return under the Act shall follow. ".

(b) for FORM ITR- Ack, the following FORM shall, be substituted, namely: —

"INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT					Assessment		
[Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3,						Year	
ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-6, ITR-7 filed and verified]						2024-25	
	(Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)						
PAN	PAN						
Name							
Addre	Address						
Status		Form Number					
Filed u	iled u/s e-Filing Acknowledgement Number						
ľax	Current Year business loss, if any		1				
L put	Tota	al Income					
ome a	Book Profit under MAT, where applicable		2				
Inco	Book Profit under MAT, where applicable  Adjusted Total Income under AMT, where applicable		3				
xable	Current Year business loss, if any  Total Income  Book Profit under MAT, where applicable  Adjusted Total Income under AMT, where applicable  Net tax payable  Interest and Fee Payable						
Tay	Inte	nterest and Fee Payable 5					

	Total tax, interest and Fee payable	6	
	Taxes Paid	7	
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (6-7)	8	
Тах	Accreted Income as per section 115TD	9	
& T:	Additional Tax payable u/s 115TD	10	
ome	Interest payable u/s 115TE	11	
l Incom Detail	Additional Tax and interest payable	12	
Accreted Income Detail	Tax and interest paid	13	
Acc	(+)Tax Payable /(-)Refundable (12-13)	14	
Incom	•	0:00:00 ng PA	
	using *paper ITR-Verification Form /E	lectron	ic Verification Code mode
Systen	n Generated Barcode/QR Code		

<sup>\*</sup>Strike off whichever is not applicable

### DO NOT SEND THIS ACKNOWLEDGEMENT TO CPC, BENGALURU".

[Notification No. 37/2024 F.No.370142/7/2024-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy. Tax Policy and Legislation

**Note:** The Income-tax Rules, 1962 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR 155(E), dated the 05<sup>th</sup> March 2024.